Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to give minimum pension to retired persons under EPS-95 Scheme as per Supreme Court orders.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): सम्माननीय चेयरमैन सर, मैं आपकी अनुमति से एक बहुत गंभीर विषय रखना चाहूंगा । हमारे जो बुजुर्ग सेवानिवृत्त हुए, उनके लिए सरकार ने ई.पी.एस.-95 नाम से एक स्कीम लाँच की थी । ई.पी.एस.-95 के तहत उनको पेंशन मिलती थी । उस वक्त यह मर्यादा रखी गई कि जिसकी तनख्वाह 5 हजार रुपये होगी, उसे 416 रुपये मिलते थे । बाद में वह मर्यादा थोड़ी बढ़ाई गई और 6,600 रुपये तनख्वाह के लिए 541 रुपये पेंशन मिलने लगी । सितम्बर, 2000 में 15 हजार रुपये तक बेसिक-पे की मर्यादा बढ़ाई तो पेंशन बढ़कर 1,250 रुपये हो गई । आप सोचिए कि आज के जमाने में 1,250 रुपये की पेंशन में क्या होगा? वर्ष 2013 में एक कमेटी बनाई गई । उस कमेटी में कोश्यारी साहब चेयरमैन थे, प्रकाश जावड़ेकर साहब भी थे । उस कमेटी ने सिफारिश कर दी कि कम से कम 3,000 रुपये और डी.ए. मिलाकर पेंशन हो और ज्यादा से ज्यादा 7,500 रुपये हो । फिर भी, वर्ष 2014 में हमारी सरकार आने के बाद उस पर अमल नहीं हुआ । इस दरम्यान ये सारे पेंशनर्स लोग कोर्ट में गए ।

चेयरमैन सर, बहुत सारे राज्यों के कोर्ट्स ने इनको मान्यता दी । किसी ने कहा कि हायर पे पर पेंशन दीजिए तो लोगों को 22,000 से 30,000 रुपये तक पेंशन मिलने लगी । लेकिन ई.पी.एफ.ओ. ने उस पर अमल नहीं किया । अब इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को इक्कल कंट्रीब्यूशन करने के लिए कहा, जिसमें जितना कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन होगा, उतना ही कंट्रीब्यूशन कंपनी का होगा । उसका भी किसी ने समर्थन नहीं किया और ई.पी.एफ.ओ. ने विरोध कर दिया । वर्ष 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पेंशन पाने के लिए जो मूल वेतन की मर्यादा थी, उसको निकाल कर, सभी को पेंशन दी जाए, ऐसा निर्णय दे दिया ।

सर, दुर्भाग्यवश आज उस निर्णय पर अमल नहीं हो रहा है । आज ईपीएस पेंशन के फण्ड में 2 लाख 77 हजार करोड़ रुपये जमा है । उसमें इतनी राशि है । अनक्लेम्ड राशि 25 हजार करोड़ रुपये से ऊपर है । माननीय प्रधान मंत्री जी भी इससे अवगत हैं । यह बड़ा दुर्भाग्य है कि करोड़ों लोग 1,200 रुपये, 3,000 रुपये पेंशन लेने के लिए आज भी इंतजार कर रहे हैं । आज एग्जेम्प्टेड लोग 84 लाख हैं और दोनों को मिलाकर 1 करोड़ 71 लाख लोग हैं । इस उम्र में स्वास्थ्य के बहुत विषय उत्पन्न होते हैं और महंगाई भी बढ़ गई है ।

मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं और यह सरकार कहती है कि हम अच्छे कदम उठा रहे हैं । मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि यह विषय बहुत सालों से प्रलम्बित है । हेमामालिनी जी, आज यहां पर उपस्थित नहीं हैं, वह भी इस विषय को लेकर प्रधान मंत्री जी तक गई थीं । आप जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय कीजिए और बुजुर्गों को न्याय दीजिए । सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 में जितनी मिनिमम पेंशन के बारे में कहा है, उतनी पेंशन को तुरंत लागू करें ।

माननीय सभापति : श्री सुब्रत पाठक जी – उपस्थित नहीं ।

श्रीमती वीणा देवी ।